


8 $\frac{3}{25}$

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक न्यायालय
में पेश हुई। वकील वादी उप.।
नटलीलदार, मांगरोल से रिपोर्ट
जात। नटलीलदार, मांगरोल की
रिपोर्ट अनुसार ग्राम मडुआ की आरक्षणी
खता स. 367 ख.न. 1353 | 0.28
है. एवं ख.न. 1365 | 1448 रुब्या
0.40 है. रामलाल पुत्र धूलीलाल हिमा
धर्म जाति हरिजन सा. देह जैर खातेदार
दर्ज है। ग्राम मडुआ के स्वकाल न.
137 से भांवरन से सांखिक ख.न.
657 रुब्या 0.71 है. जट ~~खता~~ वादी
के पत्रक पिता भूतक रामनाथ पुत्र
धूलीलाल के नाम जैर खातेदारी दर्ज
की गई। धूमि ख.न. 556 रुब्या
0.71 है. से ले कंचमेंट होने से
नये खसत नंबर कापम छिये जाके।
जमाबंदी सम्वत्. 2067-70 से ही
राजस्व रिकार्ड में वादी के पत्रक पिता
का नाम रामलाल पुत्र धूलीलाल जाति
हरिजन दर्ज है जो आदिनांक तक
चला आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार
से रामनाथ पुत्र धूलीलाल व रामलाल
पुत्र धूलीलाल एक पार्षद होना
विरोधाभास है। मत उक्त दावा
अस्वीकार कर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फौजल सुमार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

होकर नम्बर से कम हो। यह
निर्णय आज दिनांक 8-3-2025 को
राष्ट्रीय लोक भदालत में सुनाया
गया।


संजना सहस्रवत
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल